कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
(NMSA कोषांग)

मीठापुर कृषि प्रक्षेत्र, पटना- 800001, टेलीफैक्स-0612 2360010, ईमेल-nmsabihar@gmail.com

पत्रांक-एन०एम०एस०ए०को०-18/2015........262........../कृ० पटना, दिनांक-.....23.04.....'/2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
मिशन निदेशक ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) ।
उप निदेशक(रसायन), केन्द्रीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला,
बिहार, पटना ।
सभी जिला कृषि पदाधिकारी ।
सभी सहायक निदेशक (रसायन)
मिट्टी जाँच प्रयोगशाला ।

विषय :- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश के प्रेषण के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है ।

अत: अनुरोध है कि कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में स-समय योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(गणेश राम)
संयुक्त कृषि निदेशक, उप0अनु0,
बिहार, पटना

(धर्मेन्द्र सिंह) 24/4/15
कृषि निदेशक, बिहार, पटना ।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

"मृदा स्वास्थ्य कार्ड" योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश

भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा सभी कृषकों के प्रत्येक जोत का हर तीसरे वर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मृदा स्वास्थ्य कार्ड" योजना प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत सिंचित क्षेत्र में 2.5 हे॰ के ग्रीड तथा वर्षाश्रित क्षेत्र में 10 हे॰ के ग्रीड पर एक–एक प्रतिनिधि नमूना जी॰पी॰एस॰ कॉर्डिनेट के आधार पर संग्रहण किया जाना है। संग्रहित नमूना का विश्लेषण परिणाम के आधार पर ग्रीड में आने वाले सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्य तीन वर्ष में सम्पन्न होगा जिसमें प्रत्येक वर्ष में एक तिहाई क्षेत्र से नमूना संग्रहण किया जायेगा। इस प्रकार तीन वर्ष में पूरे क्षेत्र से नमूना संग्रह किया जायेगा जिससे हर किसान के पास उसके अपने खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध रहेगा। पुनः आगामी वर्षों में प्रत्येक तीन वर्ष पर उसी क्षेत्र से नमूना संग्रहण, विश्लेषण एवं स्वॅायल हेल्थ कार्ड निर्गत किया जायगा ।

उद्देश्यः–

1. सभी कृषकों को हर तीसरे वर्ष उनके खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना ताकि वे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अपने खेतों में लक्षित उपज हेतु संतुलित उर्वरक का प्रयोग कर सके।
2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित संतुलित उर्वरक प्रयोग एवं उर्वरक उपयोग क्षमता को बढ़ावा देना।
3. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक को शामिल करते हुए समेकित उर्वरता प्रबंधन को बढ़ावा देना।
4. जिला स्तर पर Digital Soil Fertility मैप तैयार करना।
5. सभी क्षेत्रों से एक समान तरीके से नमूना संग्रहण को सुनिश्चित करना।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की तैयारी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं प्रमण्डल स्तरीय समिति का गठन किया है जो निम्नवत हैः–

राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति (State Level Executive Committee)

1	कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव / सचिव कृषि विभाग	सदस्य
3	कृषि निदेशक	सदस्य सचिव
4	उधान निदेशक	सदस्य
5	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूर्वी क्षेत्र, पटना	विशेषज्ञ सदस्य
6	निदेशक अनुसंधान / विभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान, रा॰कृ॰वि॰, पूसा, समस्तीपुर	विशेषज्ञ सदस्य
7	निदेशक अनुसंधान / विभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान, बि॰कृ॰वि॰ सबौर, भागलपुर	विशेषज्ञ सदस्य
8	निदेशक प्रसार शिक्षा, रा॰कृ॰वि॰, पूसा, समस्तीपुर	विशेषज्ञ सदस्य
9	निदेशक प्रसार शिक्षा, बि॰कृ॰वि॰ सबौर, भागलपुर	विशेषज्ञ सदस्य

कृषि उत्पादन आयुक्त की अनुपस्थिति में प्रधान सचिव / सचिव, कृषि द्वारा बैठक की अध्यक्षता किया जाएगा।

राज्य स्तरीय कमिटी योजना परिचालन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य स्तर पर योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवन का कार्य करेगी ।

जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति (District Level Executive Committee)

1	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य सचिव
3	परियोजना निदेशक, आत्मा	सदस्य
4	कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	विशेषज्ञ सदस्य
5	मृदा विज्ञान विशेषज्ञ / शष्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र	विशेषज्ञ सदस्य
6	सहायक निदेशक (उधान)	सदस्य
7	सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला	सदस्य

जिला स्तरीय कमिटी योजना परिचालन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में प्रतिवर्ष नमूना सग्रहण हेतु रोस्टर का निर्धारण, जिला का वार्षिक कार्य योजना तैयारी, नमूना विश्लेषण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की तैयारी एवं वितरण, मृदा परिक्षण परिणाम के आधार पर प्रमुख फसलों के लिए समेकित उर्वरता प्रबंधन विकसित करना, स्टेक होल्डर का प्रशिक्षण, ग्राम स्तर पर कृषकों के बीच समेकित उर्वरता प्रबंधन का प्रसार आदि कार्य सम्पादित करेगी ।

प्रगण्डलस्तरीय अनुश्रवण समिति (**Division Level Monitoring Committee**):–

1	प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)	अध्यक्ष
2	संबंधित कृषि विश्वविद्यालय / कृषि महाविद्यालय / क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान के मृदा विज्ञान के विशेषज्ञ वैज्ञानिक	विशेषज्ञ सदस्य
3	उप निदेशक (रसायन)	सदस्य

प्रमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति के द्वारा "मृदा स्वास्थ्य कार्ड" योजना का अनुश्रवण (नमूना संग्रहण, विश्लेषण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण), क्षेत्रीय कठिनाइयों एवं उस पर अपने मंतव्य से मुख्यालय को अवगत कराना, जिलों को वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना आदि कार्य सम्पादित करेगी।

1. **नमूनों की संख्याः–**

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार सिंचित क्षेत्रों में 2.5 हे॰ के ग्रीड पर तथा वर्षाश्रित क्षेत्रों (असिंचित) में 10 हे॰ के ग्रीड पर एक–एक प्रतिनिधि नमूना GPS- Cordninats (Longitude & Latitude) के आधार पर संग्रहित करना है । मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध जिलावार कृषि योग्य भूमि, सिंचित रकबा एवं असिंचित रकबा के आधार पर जिलावार प्रतिवर्ष नमूनों का आकलन किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

Distict wise Total No. Of Samples as per GOI norms

Sl No	District	Divisions	No of Blocks	Net Cultivable Area (Ha)	Net Irrigated Area (Ha)	Net Non Irrigated Area (Ha)	No. of Samples as per GOI in 3 years			Total no. Of samples per year
							Irrigated @ 2.5 ha./ grid	Un-Irrigated @ 10 ha./grid	Total	
1	पटना		23	144551	86000	58551	34400	5855	40255	13418
2	नालन्दा		20	157058	99000	58058	39600	5806	45406	15135
3	भोजपुर	पटना	14	185925	117000	68925	46800	6893	53693	17898
4	बक्सर		11	133461	79000	54461	31600	5446	37046	12349
5	रोहतास		19	238670	153000	85670	61200	8567	69767	23256
6	भभुआ		11	139130	92000	47130	36800	4713	41513	13838
7	गया		24	106558	61000	45558	24400	4556	28956	9652
8	अरवल		5	36198	27000	9198	10800	920	11720	3907
9	औरंगाबाद	मगध	11	203740	162000	41740	64800	4174	68974	22991
10	नवादा		14	100080	62000	38080	24800	3808	28608	9536
11	जहानाबाद		7	50732	34000	16732	13600	1673	15273	5091
12	सारण		20	174952	109000	65952	43600	6595	50195	16732
13	सिवान	सारण	19	166932	111000	55932	44400	5593	49993	16664
14	गोपालगंज		14	147855	98000	49855	39200	4986	44186	14729
15	मुजफ्फरपुर		16	215880	116000	99880	46400	9988	56388	18796
16	पू0 चम्पारण		27	308435	129000	179435	51600	17944	69544	23181
17	प0 चम्पारण		18	251480	79000	172480	31600	17248	48848	16283
18	सीतामढ़ी	तिरहुत	18	134054	56000	78054	22400	7805	30205	10068
19	शिवहर		5	22161	12000	10161	4800	1016	5816	1939
20	वैशाली		16	123240	82000	41240	32800	4124	36924	12308
21	लक्खीसराय		6	54560	40000	14560	16000	1456	17456	5819
22	शेखपुरा		6	36699	27000	9699	10800	970	11770	3923
23	मुंगेर		9	47057	31000	16057	12400	1606	14006	4669
24	जमुई	मुगेर	10	39972	12000	27972	4800	2797	7597	2532
25	खगड़िया		7	92495	76000	16495	30400	1650	32050	10683
26	बेगूसराय		18	117303	89000	28303	35600	2830	38430	12810
27	दरभंगा		18	170699	103000	67699	41200	6770	47970	15990
28	मधुबनी	दरभंगा	21	228498	95000	133498	38000	13350	51350	17117
29	समस्तीपुर		20	174924	127000	47924	50800	4792	55592	18531
30	सहरसा		10	112544	74000	38544	29600	3854	33454	11151
31	सुपौल	कोशी	11	144584	90000	54584	36000	5458	41458	13819
32	मधेपुरा		13	131240	78000	53240	31200	5324	36524	12175
33	पूर्णियाँ		14	208302	96000	112302	38400	11230	49630	16543
34	किशनगंज	पूर्णियाँ	7	122147	33000	89147	13200	8915	22115	7372
35	अररिया		9	186458	82000	104458	32800	10446	43246	14415

36	कटिहार		16	168737	112000	56737	44800	5674	50474	16825
37	भागलपुर	भागल पुर	16	126310	42000	84310	16800	8431	25231	8410
38	बाँका		11	128112	93000	35112	37200	3511	40711	13570
योग			**534**	**5331733**	**3064000**	**2267733**	**1225600**	**226773**	**145237 3**	**484125**

2. नमूना संग्रहण हेतु एक तिहाई क्षेत्र का निर्धारण:–

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत तीन वर्षो में पूरे क्षेत्र का मिट्टी नमूना संग्रहित कर विश्लेषण करना है अर्थात प्रत्येक वर्ष (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 1/3 क्षेत्र से नमूना संग्रहित किया जायेगा । नमूना संग्रहण हेतु राजस्व ग्राम को इकाई माना जायेगा। प्रत्येक पंचायत से एक तिहाई राजस्व ग्राम का चयन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जायेगा यदि एक पंचायत में एक राजस्व ग्राम पड़ने पर 1/3 क्षेत्र का चयन प्लॉट के बढ़ते क्रम में किया जाएगा । इन चयनित राजस्व ग्रामों के कृषि योग्य रकवा में सिंचित क्षेत्र एवं असिंचित क्षेत्रों में क्रमशः 2.5 हे॰ के ग्रीड एवं 10 हे॰ के ग्रीड के आधार पर एक–एक नमूनों का संग्रहण किया जायेगा ।

3. नमूना संग्रहण दल का गठन:–

जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक पंचायत से नमूना संग्रहण हेतु दो सदस्यीय (एक कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार) नमूना संग्रहण दल का गठन किया जायेगा। नमूना संग्रहण का कार्य 20 अप्रैल से 05 मई 2015 तक चलेगा। नमूना का संग्रहण GPS Coordinate (Latitude & Longitude) के आधार पर करना है। नमूना संग्रहण हेतु समयाभाव के चलते इतने कम अवधि में GPS युक्त मोबाइल/टैब का क्रय कर नमूना संग्रहण दल को उपलब्ध करना संभव नही है, परन्तु कार्य की महत्ता को देखते हुए समय पर मिट्टी नमूना संग्रहण अभियान चलाने हेतु सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी पंचायतवार वैसे कृषि समन्वयक/सलाहकार के टैग करेंगे जिनके पास Android based smart mobile Phone उपलब्ध हो ताकि GPS उपकरण के बिना ही Android Mobile Phone के आधार पर ग्रीड बनाते हुए नमूना संग्रहण किया जा सके।कृषि समन्वयक ग्रीड को चिन्हित करेंगे एवं अन्य तकनिकी कार्य करेंगे तथा किसान सलाहकार नमूना संग्रहण करेंगे। उस प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ए॰टी॰एम॰/बी॰टी॰एम॰ को पंचायत से टैग किया जायेगा जो इसका अनुश्रवण करेंगे।

4. नमूना संग्रहण हेतु सामग्री :–

जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा अपने जिले हेतु आकंलित नमूना के अनुसार निम्न रूपेण नमूना संग्रहण हेतु सामग्री कीट की व्यवस्था की जाएगी ।

1. जिपर पाउच पॉलीथीन बैग (500 ग्रा0 क्षमता का)–2 पीस प्रति नमूना ।
2. नमूना कूट (कोड) संख्या प्रदर्शित करने वाला स्टीकर टैग–1 पीस प्रति नमूना ।
3. सूचना पत्रक–1 पीस प्रति नमूना
4. प्लस्टिक बैग (50 कि0ग्रा0 क्षमता का)– 1 प्रति 70 नमूनों के लिए ।
5. स्वॉयल सैम्पलिंग टूल – प्रत्येक टीम को 2–2 पीस उपलब्ध कराया जाएगा ।
6. 1 मीटर का प्लास्टिक सीट– प्रत्येक टीम को 2–2 पीस उपलब्ध कराया जाएगा

5. नमूना संग्रहण हेतु मानदेय:–

भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप प्रति नमूना संग्रहण हेतु **10 (दस)** रूपया मानदेय का प्रावधान है। Android based smart mobile Phone का उपयोग नमूना संग्रह कार्य में किया जाना है। नमूना संग्रहण दल में 2 (दो) सदस्य होगे । जिसमें से एक सदस्य के पास Android based smart mobile Phone रहना अनिर्वाय है । जिस सदस्य के पास Android based smart mobile Phone होगा उन्हे दूसरे सदस्य के अपेक्षाकृत अधिक मानदेय दिया जाएगा । इसके लिए सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर अलग से संसूचित किया जाएगा ।

6. ग्रीड का निर्धारण एवं नमूना संग्रह की प्रक्रिया:–

Latitude & Longitude के आधार पर नमूना संग्रहण हेतु Android based smart mobile Phone के लिए एक 'एप्लीकेशन' (Soil Health Management System) का विकास किया गया हैं इस 'एप्लीकेशन' को गूगल अथवा www.biharsoilhealth.com से डाउनलोड किया जा सकेगा। जैसे ही नमूना संग्रह दल अपने पंचायत के चयनित् राजस्व गॉव पर जायेंगे तथा 'एप्लीकेशन' को खोलेंगे तथा "Soil Sample Registration" में जाने पर ग्रीड नम्बर एवं Latitude & Longitude अपने आप प्रदर्शित होगा। कृषि समन्वयक इस 'एप' की मदद से सिंचित क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर तथा असिंचित क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर का ग्रीड चिन्हित करेंगे। ग्रीड चिन्हित करने उपरांत 'एप' में ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, किसी एक किसान का नाम, मोबाइल नम्बर, आदि को विकल्प में फीड करेंगे तथा इसे Save कर लेंगे। इसके पश्चात, नेट वर्क रहने पर अपने आप यह वेब साईट पर अपलोड हो जाएगा। नेट वर्क नहीं रहने की स्थिति में यह डाटा मोबाईल के मेमोरी में सुरक्षित रहेगा और जैसे हीं नेटवर्क के क्षेत्र में आने पर डाटा स्वयं पोर्टल के साफ्टवेयर में अपलोड हो जाएगा। सूचना पत्रक में